न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी

पीठासीन अधिकारी :– सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)

राजस्व प्रकरण संख्या :– 322/2024 जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2024/471
दायर दिनांक :– 02.12.2024 निर्णय दिनांक :– 28.08.2025

1. अजीज खां पुत्र सामू खां जाति मुसलमान नि. कानसिंह की सिड तह. बाप जिला फलोदी
2. अब्दुल करीम पुत्र सामू खां जाति मुसलमान नि. कानसिंह की सिड तह. बाप जिला फलोदी
3. कालू खां पुत्र सामू खां जाति मुसलमान नि. कानसिंह की सिड तह. बाप जिला फलोदी
4. छूटका पुत्री सामू खां जाति मुसलमान नि. कानसिंह की सिड तह. बाप जिला फलोदी
5. छोटा पुत्री सामू खां जाति मुसलमान नि. कानसिंह की सिड तहसील बाप जिला फलोदी
6. जमाली पत्नी सामू खां जाति मुसलमान नि. कानसिंह की सिड तहसील बाप जिला फलोदी
7. भंवरी पुत्री सामू खां जाति मुसलमान निवासी कानसिंह की सिड तह. बाप जिला फलोदी
8. मनू पुत्री सामू खां जाति मुसलमान निवासी कानसिंह की सिड तह. बाप जिला फलोदी
9. मराम खां पुत्र सामू खां जाति मुसलमान नि. कानसिंह की सिड तह. बाप जिला फलोदी
10. तारा पुत्री बाबू खां जाति मुसलमान निवासी कानसिंह की सिड तह. बाप जिला फलोदी
11. पपू खां पुत्र बाबू खां जाति मुसलमान निवासी कानसिंह की सिड तह. बाप जिला फलोदी
12. उलफत पत्नी बाबू खां जाति मुसलमान निवासी कानसिंह की सिड तह. बाप जिला फलोदी
13. बसीर खां पुत्र बाबू खां जाति मुसलमान निवासी कानसिंह की सिड तह. बाप जिला फलोदी
14. मनोहरअली पुत्र बाबू खां जाति मुसलमान नि. कानसिंह की सिड तह. बाप जिला फलोदी

–प्रार्थीगण

बनाम

1. कादरखां पुत्र फजरूखां जाति मुसलमान नि. कानसिंह की सिड तह. बाप जिला फलोदी
2. जन्नी पत्नी कादरखां जाति मुसलमान नि. कानसिंह की सिड तह. बाप जिला फलोदी
3. गुलशेरखां पुत्र अनवरखां जाति मुसलमान नि. कानसिंह की सिड तह. बाप जिला फलोदी
4. छोटू खां पुत्र अनवरखां जाति मुसलमान नि. कानसिंह की सिड तह. बाप जिला फलोदी
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बाप तहसील बाप जिला फलोदी

–अप्रार्थीगण

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थित :–1. श्री राजेन्द्रसिंह सोंलकी अधि. प्रार्थीगण
2 श्री आरूफ खांन अधि. अ. सं. 1 ता 4

–:: निर्णय ::–

प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध पूर्व में मजबूत आधारों का एक नियमित राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया। उक्त वाद में वर्णित

28/8/25

तथ्यों एवं दस्तावेजात से प्रार्थीगण का वाद प्रथम दृष्टया ही साबित है तथा उक्त वादग्रस्त भूमि पर प्रार्थी का कब्जा व काश्त होने से सुविधा का तुलनात्मक संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में है। यदि प्रार्थीगण को अपने हिस्से की कब्जा काश्त की भूमि से अप्रार्थीगण द्वारा बेदखल कर दिया जाता है तो उससे प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होगी जिसका मुल्यांकन रूपयों में किया जाना संभव नहीं है। इस प्रकार नैसर्गिक न्याय के तीनों आधारभूत सिद्धान्त प्रार्थी के पक्ष में होने से उक्त वाद में प्रार्थीगण को सफलता मिलने की पूरी–पूरी उम्मीद है। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 4 व अन्य सहखातेदारान की संयुक्त खातदेारी अधिकारों की काश्त भूमि मूल खसरा नम्बर 239 रकबा 44.4101 हैक्टेयर ग्राम कानसिंह की सिड पटवार क्षेत्र कानसिंह की सिड तहसील बाप जिला फलोदी में स्थित है। उक्त भूमि में मूल खसरा नम्बर 239 रकबा 44.4101 हैक्टेयर भूमि में प्रार्थीगण का संयुक्त रू॰ से 1/4 हिस्सा, अप्रार्थी संख्या 1 का 1/12 हिस्सा, अप्रार्थी संख्या 2 का खरीदसुदा 1/12 हिस्सा तथा अप्रार्थी संख्या 3 व 4 को अपनी माता हलीमों पत्नी अनवार खां से प्राप्त 1/72 हिस्सा बंट में आता है। इसी अनुसार ही मौके पर प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 ता 4 काबिज थे लेकिन वर्तमान में सेग्रीकेशन योजना के तहत वर्तमान जमबांदी में पटवारी हल्का द्वारा प्रार्थीगण का हिस्सा सरासर गलत रूप से दर्ज कर दिया तथा अप्रार्थी संख्या 1 ता 4 का हिस्सा सरासर गलत रूप से अधिक दर्ज कर दिया गया। उक्त गलत इन्द्राजात के आधार पर बंटवाड़े का वाद मुकदमा नम्बर 182/2022 का निर्णय दिनांक 03.05.2023 को सहायक कलक्टर कोर्ट बाप द्वारा किया गया। उक्त निर्णय के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 3318 मौजा कानसिंह की सिड भरा जाकर स्वीकृत हुआ और प्रार्थी तथा अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के नाम नये खसरा नम्बर 1068/239 रकबा 16.5982 हैक्टेयर तथा अप्रार्थी संख्या 3 व 4 के नाम खसरा नम्बर 1066/239 रकबा 2.4672 हैक्टेयर दर्ज कर दिया गया। नये खसरा नम्बर 1068/239 रकबा 16.5982 हैक्टेयर में प्रार्थीगण का हिस्सा सरासर गलत रूप से कम दर्ज कर दिया गया तथा अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 का हिस्सा अपने पैतृक हिस्से से अधिक दर्ज कर दिया गया जबकि उक्त भूमि में अप्रार्थी संख्या 1 को 457/2051 हिस्सा तथा अप्रार्थी संख्या 2 को अपने खरीद अनुसार 457/2051 हिस्सा अनुसार बंट में आती है। उक्त भूमि में प्रार्थीगण संख्या 1 ता 9 को 568/2051 हिससा तथा प्रार्थीगण संख्या 10 ता 14 को 569/2051 हिस्सा भूमि बंट में आती है। इसी अनुसार ही मौके पर प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 2 का मौके पर कब्जा व काश्त है। इसी हिस्से अनुसार ही प्रार्थीगण ने मौके पर रहवासीय ढाणी इत्यादि बना रखे है। इसलिये अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 4 को जरिये कानून रोका जाना अतिआवश्यक है अतः अस्थायी निषेधाज्ञा बहक प्रार्थीगण विरूद्व अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 4 के विरूद्व इस अमर की जारी की जावे कि ग्राम कानसिंह की सिड तहसील बाप के खसरा नम्बर 1068/239 रकबा 16.5982 हैक्टेयर तथा खसरा नम्बर 1066/239 रकबा 2.4672 हैक्टेयर भूमि में प्रार्थीगण के चले आ रहे शांतिपूर्वक कब्जा काश्त में किसी प्रकार की दखल अंदाजी न तो अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 4 स्वयं करे न ही किसी अन्य से करावे। जिसका यह प्रार्थना पत्र पेश है।

20/3/24

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली गयी और प्रार्थना पत्र रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 ता 4 की और से आरूफ खांन ने मूल वाद में वकालतनामा पेश किया। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 का जवाब प्रार्थना–पत्र पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थी संख्या 3 व 4 को जवाब पेश नहीं करना चाहते है। पत्रावली बहस में रखी गयी।

बहस अधिवक्ता उभय पक्ष प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सुनी गयी। पत्रावली में सलंग्न प्रार्थना–पत्र, जवाब प्रार्थना–पत्र, जमाबंदी, नामान्तरकरण, नजरी नक्शा इत्यादि का अवलोकन किया गया। हम प्रकरण को अस्थाई निषेधाज्ञा के आवश्यक एवं सारभूत निम्नलिखित तीन बिन्दुओ के विवेचन के आधार पर प्रकरण को निर्णित करना आवश्यक समझते है–

प्रथम दृष्टया मामला

प्रथम दृष्टया मामला से तात्पर्य है कि वाद्पत्र और उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन मात्र से यह विश्वाश करने का पर्याप्त कारण हो कि वादग्रस्त आराजी में वादी को अनुतोष प्राप्त करने का पर्याप्त आधार प्राप्त है तथा प्रार्थी को प्रथम दृष्टया आराजी के उपयोग का अधिकार प्राप्त हो। इसका अर्थ यह नहीं है कि मामला पूर्णतया सिद्ध कर दिया जाये क्योंकि यह साक्ष्य का विषय है।

वादगस्त भूमि की जमाबंदी का अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 4 व अन्य ग्राम कानसिंह की सिड पटवार क्षेत्र कानसिंह की सिड तहसील बाप के खसरा नम्बर 239 रकबा 44.4101 हैक्टेयर भूमि के अभिलिखित खातेदार थे। वादग्रस्त भूमि बंटवाड़ा के वाद का निर्णय होने पर अलग–अलग खाते कायम कर दिये गये। अप्रार्थीगण बटवाड़ा की डिकी अनुसार वर्तमान राजस्व रेकर्ड में अलग खाता दर्ज है। प्रार्थीगण ने सेग्रीकेशन योजना में हिस्सा गलत दर्ज होने के कथन किये है परन्तु सेग्रीकेशन योजना के पश्चात प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण व अन्य के मध्य विभाजन के वाद द्वारा खाते अलग–अलग कायम किये गये है। विभाजन का वाद किसी भी न्यायालय द्वारा आक्षेपित नहीं है। अगर प्रार्थीगण के पक्ष में अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है तो अप्रार्थीगण को आराजी के उपयोग व उपयोग, कृषि कार्य करने में असुविधा होगी। अतः न्यायालय के विनम्र अभिमत में प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में भली भांति साबित नहीं होता है।

सुविधा का संतुलन

सुविधा के संतुलन से तात्पर्य है कि यदि व्यादेश नहीं दिया जाता है तो अधिकतम असुविधा प्रार्थी को होगी या प्रतिपक्षी को।

20/3/15

प्रार्थना पत्र और जमाबंदी, नामान्तरकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के नाम राजस्व रेकर्ड मे अलग–अलग खातों में दर्ज है जो जरिये बंटवाड़ा डिक्री के दर्ज किये गये है। अगर अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्व अप्रार्थीगण जारी की जाती है तो अप्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि में कृषि इत्यादि कार्य से वंचित हो सकते है। अतः सुविधा का सन्तुलन बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में साबित नहीं होता है।

अपूर्णीय क्षति

अपूर्णीय क्षति से तात्पर्य एक ऐसी 'तात्विक क्षति' से है जिसकी पूर्ति नुकसानी के रूप में नहीं की जा सकती।

चूंकि न्यायालय हाजा में प्रार्थीगण का दावा अन्तर्गत धारा 88,91,92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विचाराधीन है और प्रथम दृष्ट्या मामला और सुविधा का सन्तुलन दोनों बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में साबित नहीं हुवे है।

अतः न्यायालय का अभिमत है कि प्रार्थीगण के पक्ष में तीनों बिन्दू यथा प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का सन्तुलन, अपूर्णनीय क्षति साबित नहीं होने से अस्थाई व्यादेश का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

–:आदेश:–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा भली भांति साबित नहीं होने के कारण खारिज किया जाता पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 28.08.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(सुखाराम पिण्डेल आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)